

कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 80 अ-82/17-18 भू-अर्जन/10,060/

बैतूल दिनांक 14-08-2018

ईशतहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में ग्राम बोरगांव प0ह0न0 115 तहसील मुलताई जिला बैतूल के मकान आने के कारण निम्नानुसार खसरा नम्बरों में स्थित आबादी भूमि के मकानों को आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने हेतु प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

अ0क्र0	खसरा नम्बर	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किया जाने वाले मकानों की संख्या	धारक का नाम
1	277	01	हीरालाल व0 गेंदलाल सा0 बोरगांव

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम बोरगांव तहसील मुलताई के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर आबादी में स्थिति एक मकान को आपसी सहमति से क्रय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयवाधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 14-8-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



(शशांक मिश्र) 1410  
कलेक्टर,  
बैतूल

पृ0क0 80 अ-82/वर्ष 17-18/भू-अर्जन/10060/ बैतूल दिनांक 14-08-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति0 भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालने प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बोरगांव तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

  
कलेक्टर,  
बैतूल